

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (राज.)


क्रमांक: 108 स्था.

दिनांक: 18 अप्रैल, 2024

—: कार्यालय आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 04/E.V./2024 Date 16-04-2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में व कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), नागौर के आदेश क्रमांक सामान्य/सा.अवकाश/2024/636 दिनांक 28.03.24 में उल्लेखित अनुसार लोकसभा आम चुनाव, 2024 दो चरणों में क्रमशः दिनांक 19.04.24 व 26.04.24 को सम्पन्न होंगे। अतः मेड़ता न्यायक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागौर के चुनाव मतदान हेतु नागौर, खीवसर, जायल, मकराना, परबतसर, कुचामन सिटी, नावां, डीडवाना व लाडनूं मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में दिनांक 19.04.24 को तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजसमंद के चुनाव मतदान हेतु मेड़ता व डेगाना मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में दिनांक 26.04.2024 को एतद्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

पुनर्मतदान की स्थिति में जहाँ पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
मेड़ता। 18/04/2024

2162-2174  
क्रमांक:.....स्था.

दिनांक: 18 अप्रैल, 2024


प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

01. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
02. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट कैसेज नं.01, नं.02 मेड़ता/नागौर।
03. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता।
04. समस्त अधीनस्थ न्यायालय मेड़ता न्यायक्षेत्र।
05. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मेड़ता/डेगाना/नागौर/खीवसर/जायल/मकराना/परबतसर/कुचामन सिटी/नावां/डीडवाना/लाडनूं द्वारा संबंधित मुख्यालय के वरिष्ठतम न्यायालय।

07. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश से आप अपने अधीनस्थ कार्यालय को सूचित करें :-

01. जिला कलक्टर, नागौर।
02. जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर।
03. सहायक निदेशक अभियोजन, नागौर।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
मेड़ता। 18/04/2024